

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला-अजमेर

.....श्रीमती लक्ष्मी..... बनाम राज्य सरकार  
 किस्म मुकदमा...प/स. 218.....आर0टी0ए0 नंबर .....45.....सन्..2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2020	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मिसल दर्ज रजिस्टर कि जाकर वकील प्रार्थी सुना गया। वकील प्रार्थी के कथन उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। प्रार्थना पत्र एव जॉच रिपोर्ट के अवलोकन में पाया गया कि मूल वाद संख्या 32/2016 उनवान श्रीमती लक्ष्मी बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 88.188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दिनांक 08.02.2018 को किया जा चुका है। मूल वाद के निस्तारण के बावजूद यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमें मूल वाद के अभाव में चलने योग्य नहीं है। अतः यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र एडमिशन स्टेज पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(मोहनलाल खटनावलिया)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 मसूदा (अजमेर) राज.

